

अधिसूचना संख्या 149 [फा. सं. 142/34/2001-TPL] / का. आ. 510(अ), दिनांक 11-6-2001

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए अप्रैल, 2000 के पहले दिन से शुरू होने वाले और मार्च, 2001 के 31 वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल, 2001 के पहले दिन से शुरू होने वाले और मार्च, 2002 के 31 वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को निर्दिष्ट करती है, और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या एस 0. 709 (ई), दिनांक 20 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना में सारणी में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
1	2001-2002	426